# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री परशुराम यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र बिन्दा प्रसाद सोनी निवासी बांकी थाना भरुआ सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 02 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगीः-**

02 किलो अवैध गांजा

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी

2.आरक्षी हरीशरण

3.आरक्षी सचिन यादव

**(2).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या द्वारा 06 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 चोरों को चोरी के मोबाइल व नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय की दिनांक 08.04.2023 को सुबह 08 बजे श्री गणेश शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा निवासी सिंचाई कॉलोनी डबरा जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि वह कामतानाथ दर्शन करने हेतु आए थे कि रामघाट पर अज्ञात चोरों ने उनका मोबाइल तथा नगदी चोरी ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 245/2024 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभावी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना का संज्ञान लेकर उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या चौकी सीतापुर को घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा अधिक प्रयास करते हुए वादी के मोबाइल की लोकेशन से दोपहन 01.30 बजे अभियुक्त 1.अखिलेश पाल पुत्र रामकेश पाल निवासी रूद्रा डेयरी के पास कसाई रोड थाना कोतवाली कर्वी 2. लकी रैकवार पुत्र नन्हकू निवासी वार्ड नंबर 32 शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी के मोबाइल तथा 490/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी के माल बरामद की के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी। इस प्रकार सूचना के मात्र 06 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया।

**अभियुक्तों का विवरणः-**

1.अखिलेश पाल पुत्र रामकेश पाल निवासी रूद्रा डेयरी के पास कसाई रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2.लकी रैकवार पुत्र नन्हकू निवासी वार्ड नंबर 32 शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**बरामदगीः-**

(1).चोरी का एक अदद मोबाइल

(2).490/- रुपये नगद

**गिररफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर

2.आरक्षी रविशंकर

**(3).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक

चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2020 धारा 376,342 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोटे यादव उर्फ चन्द्रकमल पुत्र देशराज निवासी छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>घटना का विवरणः-</u>**

दिनाँक 11.04.2020 को वादी द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी थी कि अभियुक्त छोटे यादव उर्फ चन्द्रकमल उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है एवं थाने सूचना देने जाते समय रास्ता अवरोध किया गया। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 17/2020 धारा 376,342 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट बनाम छोटे यादव उर्फ चन्द्रकमल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा की गयी थी तथा दिनाँक 20.06.2020 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

**(4).** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 438/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त बच्चा पुत्र ननका निवासी नई दुनिया कसहाई शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 माह का कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>**

दिनाँक 11.10.2022 को थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बच्चा उपरोक्त को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाल कर्वी में मु0अ0सं0 438/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त रहे उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 30.10.2022 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

**(5).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2023 धारा 302 भादवि के आरोपी अभियुक्त लालचन्द्र निषाद पुत्र स्व0 रामभवन निषाद निवासी सेसा सुबकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावस व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>**

दिनाँक 05.05.2023 को विफई निषाद पुत्र स्व0 दशरथ निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उनके दामाद लालचन्द्र निषाद उरपोक्त ने उनकी पुत्री श्यामपति की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 122/2023 धारा 302 भादवि बनाम लालचन्द्र निषाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा की गयी, घटना के दूसरे दिन दिनाँक 06.05.2024 को

आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं दिनाँक 21.07.2023 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

**(6).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 281/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त छोटेलाल पुत्र रामआसरे निवासी मुखल थाना बबेरू जनपद बांदा को 2000 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(7). आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय द्वारा थाना रैपुरा क्षेत्र के ग्राम खजुरिया कला,दैउधा,रामपुर,बाँधी,रामनगर,कस्बा रैपुरा थाना रैपुरा पुलिस बल एवं मणिपुर एस.ए.पी के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।

(8). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।